बाहर तैनात करने पर विचार नहीं किया गया। यह स्थानान्तरण नीति के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कनिष्ट इंजीनियरों (विधुत) को जो 1996 के दौरान स्थानान्तरित होने अपेक्षित थे, पहले ही बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

General Pool Accommodation to Delhi Police Personnel

3630. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Head Constables, Assistant Sub-Inspectors, etc. of the Delhi Police are eligible for General Pool accommodation;

(b) if not, whether any personnel of Delhi Police are in occupation of the General Pool accommodation; and

(c) if so, what are the reasons for continuing allotment to such personnel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Only gazetted staff of Delhi Police are eligible for accommodation from general pool as per Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 as Delhi Police have their own pool of accommodation and Police colonies for non-gazetted staff.

बिहार में छोटे व मझौले शहरों के समन्वित विकास कार्यक्रम (आई. डी. एस. एम. टी.) का क्रियान्वयन

3631. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में छोटे व मझौले शहरों के समन्वित विकास (आई. डी. एस. एम. टी.) के अन्तर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों में किन किन शहरों को शामिल किया गया है और जिलावर ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नालन्दा को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नालन्दा की इस कार्यक्रम में शामिल में किये जाने वाले प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) अब तक आई. डी. एस. एम. टी. में शामिल बिहार के 40 शहरों की जिलावार सूची विवरण के रुप में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) जी, नहीं।

(घ) आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम में शामिल करने के लिए प्राशमिकता वाले शहरों की पहचान और चयन राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है बिहार सरकार ने नालंदा को निर्धारित प्राथमिकता वाले शहरों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

आई. डी. एस. एम. टी. योजना में शामिल किए गए शहरों की सूची

(1979-80 के 31 मार्च, 1997 तक)

क्रम सं.	राज्य/शहर	जिला
1.	आरा	भोजपुर
2.	वेगूसराय	बेगूसराय
3.	बतिया	पश्चिम चम्परायन
4.	चईवासा	सिंहभूम
5.	छपरा	सारन
6.	डालटनगंज	पालमु
7.	देवगंढ़	देवगंढ़
8.	धनबाद	धनबाद
9.	दुमका	दुमका
10.	गिरडीह	गिरडीह
11.	गोपाल गंज	गोपालगंज
12.	हाजीपुर	वैशाल